

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन की अध्यक्षता में दिनांक-27.08.2020 को 04:00 बजे अपराह्न में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की सप्तम् बैठक की कार्यवाही।

कार्यावली संख्या-01

बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की षष्ठम् बैठक दिनांक-14.09.2019 के कार्यवाही की संपुष्टि।

निर्णय:- अवलोकित।

कार्यावली संख्या-02

बिहार विकास मिशन के कार्यकारी समिति की दिनांक-18.04.2019 को सम्पन्न सप्तम् बैठक की कार्यवाही, अवलोकनार्थ।

निर्णय:- अवलोकित।

कार्यावली संख्या-03

बिहार विकास मिशन के शासी निकाय के सम्पन्न षष्ठम् बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत है:-

(क) दिनांक-14.09.2019 की शासी निकाय की सम्पन्न षष्ठम् बैठक के कार्यवाही की कार्यावली संख्या-03(क)	अनुपालन
<p>दिनांक-18.04.2019 को सम्पन्न कार्यकारी समिति की बैठक में बिहार विकास मिशन में नियोजित कर्मियों के उपयोगिता/ आवश्यकता के मद्देनजर उनकी सेवा और 02(दो) वर्ष अर्थात् कुल 05(पाँच) वर्ष तक जारी रखने/ नये सिरे से एकरारनामा करने के बिन्दु पर स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कर्मियों के कार्यों की प्रत्येक 11 माह बाद नियंत्री पदाधिकारी द्वारा समीक्षा की जायेगी एवं उनके मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुरूप सेवा जारी रखने/ नये सिरे से एकरारमाना करने के बिन्दु पर आवश्यकता अनुसार बिहार विकास मिशन द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तदनुरूप बिहार विकास मिशन द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या-818, दिनांक-28.05.2019 को दिनांक-14.09.2019 को सम्पन्न शासी निकाय की षष्ठम् बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।</p> <p>निर्णय:- निदेशित किया गया कि आगामी बैठक में पुनः इस कार्यावली को प्रस्तुत किया जाय।</p>	<p>शासी निकाय का अवलोकन प्रार्थित है।</p>

निर्णय:- अवलोकित।

(ख) दिनांक-14.09.2019 की शासी निकाय की सम्पन्न षष्ठ्य बैठक के कार्यवाही की कार्यावली संख्या-07

बिहार विकास मिशन के अंतर्गत माह-अप्रैल' 2019 से मार्च' 2020 तक की अनुमानित व्यय विवरणी (बजट प्राक्कलन) सरकार द्वारा मदवार निम्नवत अनुमोदित है :-

Proposed Budget (From 01-04-2019 Upto 31-03-2020)	
Particulars	Amount (in Rs.)
Salary & Wages	₹ 5,00,00,000.00
Capital Expenditure (Furniture & Office Equipment's and Furnishing)	₹ 1,00,00,000.00
Other than Salary (Including Consultancy Fee Honorarium & Related Expenditure)	₹ 1,44,00,00,000.00
Total Expenditure	₹ 150,00,00,000.00

बिहार विकास मिशन का वित्तीय वर्ष-2019-20 में उपरोक्त अनुमानित व्यय-विवरणी (बजट प्राक्कलन) पर कार्यकारी समिति की दिनांक-18.04.2019 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदन प्राप्त है, इसपर शासी निकाय की स्वीकृति प्रार्थित है।

निर्णय:- निदेशित किया गया कि शासी निकाय की आगामी बैठक में मदवार विवरणी के साथ विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

अनुपालन

वित्तीय वर्ष 2019-20 व्यतीत हो जाने के फलस्वरूप माह-अप्रैल' 2019 से मार्च' 2020 तक हुए वास्तविक व्यय को ही उक्त वित्तीय वर्ष हेतु बजट प्रस्ताव के रूप में स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है। माह-अप्रैल' 2019 से मार्च' 2020 में हुए वास्तविक व्यय की विवरणी निम्नवत है:-

S N	Fund Head	Proposed Budget on the basis of Actual Expenditure
1	3104-Assistant Grant for salary	₹ 51362258.00
2	3105-Assistant Grant for Capital creation	₹ 444052.00
3	3106-Assistant Grant for Other than salary	₹ 499091357.06
GRAND TOTAL		₹ 550897667.06

उपर्युक्त की विस्तृत मदवार विवरणी पर शासी निकाय का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:- अनुमोदित।

कार्यावली संख्या-04

वित्त विभागीय पत्रांक-2575, दिनांक-14.05.2020 के आलोक में बिहार विकास मिशन के बैंक खाता में संचित राज्य सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान की राशि पर वित्तीय वर्ष के समाप्ति के उपरान्त अर्जित ब्याज की राशि सांविधिक अंकेक्षण के उपरांत राजकोष में जमा किये जाने के प्रस्ताव पर शासी निकाय का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:- अनुमोदित।

कार्यावली संख्या-05

बिहार विकास मिशन के पत्रांक-1891, दिनांक-18.11.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के व्यय हेतु कुल ₹ 101,10,00,000.00 (एक सौ एक करोड़ दस लाख रुपये) मात्र का प्राक्कलन निम्न तालिकानुसार प्रशासी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग) को उपलब्ध कराया गया :-

क्रम सं०	शीर्ष	उपनिर्दिष्ट राशि
01	3104- सहायक अनुदान वेतन	₹ 6,50,00,000.00 (छह करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र
02	3105- सहायक अनुदान परिश्रमियों का निर्माण	₹ 1,00,00,000.00 (एक करोड़ रुपये) मात्र
03	3106- सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे	₹ 93,60,00,000.00 (निरानवे करोड़ साठ लाख रुपये) मात्र
कुल		₹ 101,10,00,000.00 (एक सौ एक करोड़ दस लाख रुपये) मात्र

उपर्युक्त बजट प्राक्कलन से संबंधित मदवार विस्तृत विवरणी पर शासी निकाय का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:- अनुमोदित।

कार्यावली संख्या-06

बिहार विकास मिशन में नियोजित एवं कार्यरत कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के प्रावधान का लाभ दिया जा रहा है। बिहार विकास मिशन के मुख्यालय के अंतर्गत पात्र कर्मियों (₹21,000/- तक मानदेय पाने वाले) को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्रावधान के तहत उनके मानदेय से कर्मियों के अंशदान की कटौती करते हुए नियोक्ता अंशदान के साथ भुगतान किया जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 से सभी जिलों के आच्छादन के उपरान्त सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्रों के पात्र कर्मियों को भी दिनांक- 01.07.2020 के प्रभाव से इसका लाभ दिया जा रहा है। शासी निकाय के अवलोकनार्थ।

निर्णय:- अवलोकित।

कार्यावली संख्या-07

DFID सम्पोषित स्वस्थ (SWASTH) परियोजना के सूद की राशि से बिहार विकास मिशन को ₹ 10,00,00,000.00 [दस करोड़ रुपये] (राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के माध्यम से दिनांक-16.03.2016 को ₹ 3,50,00,000.00 मात्र, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से दिनांक-29.03.2016 को ₹ 4,00,00,000.00 मात्र की राशि एवं समाज कल्याण विभाग से दिनांक-04.04.2016 एवं दिनांक-05.05.2016 को क्रमशः ₹ 50,00,000.00 मात्र एवं ₹ 2,00,00,000.00 मात्र) की राशि उपलब्ध करायी गयी। इसी क्रम में राज्य सरकार से सहायक अनुदान की राशि प्राप्त होने के कारण यह राशि अव्यवहृत रही। अतः उक्त राशि को संबंधित विभागों/ कार्यालयों को वापस कर दिया गया। शासी निकाय का अवलोकन प्रार्थित है।

निर्णय:- अवलोकित।

कार्यावली संख्या-08

बिहार विकास मिशन के द्वारा Phase I से V तक के चरणों को मिलाकर कुल 439 रिक्तियों के विरुद्ध 308 अभ्यर्थियों का चयन किया गया।

Phase V के नियुक्ति प्रक्रिया की समाप्ति के क्रम में कुल 04 (चार) पद क्रमशः (i) DSC Agri, (ii) DSC Agri + Infra, (iii) DSC Social एवं (iv) DSC Infra की कुल 21 रिक्तियों के विरुद्ध Hiring Agency के द्वारा एकरानामा की शर्त के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये Second Opportunity के तहत Additional Shortlist of Candidates के आधार पर साक्षात्कार की तिथि क्रमशः दिनांक-20.03.2020 एवं 21.03.2020 को निर्धारित की गयी थी। वैश्विक महामारी Covid-19 के कारण आयोजित होने वाले साक्षात्कार स्थगन की कार्यवाई सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-3736, दिनांक-13.03.2020 के आलोक में की गयी। उक्त पर शासी निकाय का अवलोकन प्रार्थित है।

निर्णय:- अवलोकित।

कार्यावली संख्या-09

Phase V की नियुक्ति प्रक्रिया के पश्चात् अवशेष रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु NIT REF No.-BVM/2019-20/HR02 के माध्यम से दिनांक-09.12.2019 को प्रकाशित निविदा के विरुद्ध प्राप्त 05 निविदा में से 03 एजेंसी क्रमशः (i) Quess Corp Limited, (ii) Scalene Works People Solution LLP तथा (iii) SA Tech Software India Pvt. Ltd. को Technical Evaluation में योग्य पाया गया। तकनीकी रूप से योग्य पाये गये

एजेंसी के साथ (दिनांक-11.02.2020 एवं 12.02.2020 को) एकरारनामा के उपरान्त उक्त Empanelled एजेंसी से **Phase VI** के 46 एकल पदों पर नियुक्ति हेतु वित्तीय निविदा आमंत्रित की गयी। 16 पदों के लिए Quess Corp Limited, 15 पदों के लिए Scalene Works People Solution LLP तथा शेष 15 पदों के लिए SA Tech Software India Pvt. Ltd. की वित्तीय निविदा L1 पायी गयी। सभी L1 एजेंसियों को कार्यादेश दिनांक-12.03.2020 को निर्गत किया गया।

पदवार प्राधिकृत एजेंसी की सूचना Important Notice के माध्यम से मंत्रिमंडल सचिवालय एवं बिहार विकास मिशन के Website पर दिनांक- 02.06.2020 को Important Notice के रूप में प्रकाशित की गयी है। Important Notice की प्रति शासी निकाय के अवलोकनार्थ।

निर्णय:- अवलोकित।

कार्यावली संख्या:-10

बिहार विकास मिशन की नियमावली की कंडिका 9(13) के आलोक में सांविधिक(वार्षिक) अंकेक्षण (Statutory Audit) हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के पैनल में सूचीबद्ध पटना स्थित CA Firms से प्राप्त वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के पश्चात् बिहार विकास मिशन (मुख्यालय) का वित्तीय वर्ष 2019-20 के Statutory Audit एवं Tax Audit along with ITR Filing के लिए L1 निविदादाता M/s AKNBM & Company, C/o Sri Bhubneshwar Prasad, 68, Nehru Chak, Gulzarbagh, Patna-800007 का तथा बिहार विकास मिशन द्वारा विभिन्न जिलों के DRCCs को उपलब्ध कराये गये मानव बलों के मानदेय भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि/आवंटित राशि का वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक के Statutory Audit के लिए L1 निविदादाता Sangeeta Gupta & Associates, 68, Nehru Chak, Gulzarbagh, Patna-800007 का चयन विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है।

Audit Firm के चयन पर शासी निकाय की अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:- अनुमोदित।

कार्यावली संख्या-11

बिहार विकास मिशन के अंतर्गत निम्न 07 उपमिशनों के कार्यक्रमों एवं योजनाओं की विस्तृत समीक्षा हेतु सात निश्चयवार/ उपमिशनवार अनुपालन एवं प्रगति प्रतिवेदन हेतु संबंधित उप-मिशन द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया:-

(I) युवा उप-मिशन

❖ **मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (योजना एवं विकास विभाग) :-**

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस योजना अंतर्गत कुल स्वीकृत 4,63,539 आवेदनों के विरुद्ध कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण हेतु कुल 5,14,386 आवेदनों को KYP (कुशल युवा कार्यक्रम) पोर्टल पर हस्तांतरित किया गया है तथा 1,94,436 आवेदकों को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया है।

उक्त के आलोक में निदेशित किया गया कि :

1. कुल स्वीकृत आवेदनों के विरुद्ध कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण हेतु अधिक संख्या में आवेदनों को KYP पोर्टल पर हस्तांतरित किये जाने का विश्लेषण कर लिया जाय।

2. कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण हेतु कुल हस्तांतरित आवेदनों में से इतनी कम संख्या में आवेदकों को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किये जाने के कारणों का विश्लेषण कर लिया जाए।

अनुपालन- योजना एवं विकास विभाग।

❖ **कुशल युवा कार्यक्रम (श्रम संसाधन विभाग/ योजना एवं विकास विभाग) :-**

• समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अब तक कुल 5,38,859 आवेदक कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण हेतु लंबित/ प्रतीक्षारत है। इस सम्बन्ध में निदेशित किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदकों के प्रशिक्षण हेतु प्रतीक्षारत रहने के सन्दर्भ में कारणों का विश्लेषण किया जाए।

अनुपालन- श्रम संसाधन विभाग/ योजना एवं विकास विभाग।

❖ **प्रत्येक जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग):-**

• विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा बताया गया कि भोजपुर जिले में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु प्राप्त भूमि चिह्नित कर सतत लीज पर लेने की प्रक्रिया चल रही है।

इस सम्बन्ध में निदेश दिया गया कि उक्त भूमि को शीघ्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

अनुपालन- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

❖ **प्रत्येक जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग) :-**

• विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा बताया गया कि जहानाबाद जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना हेतु चिह्नित भूमि का प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को प्राप्त हो चुका है।

इस सम्बन्ध में निदेश दिया गया कि चिह्नित भूमि को शीघ्र स्वीकृत करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

अनुपालन-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

❖ **प्रत्येक अनुमंडल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (श्रम संसाधन विभाग):-**

• श्रम संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि अरेराज, बखरी एवं तेघड़ा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त हो गई है, जबकि रक्सौल में निजी भूमि लेने हेतु प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त वायसी के लिए शिक्षा विभाग के साथ वार्ता कर यहाँ भी भूमि की व्यवस्था कर ली जाएगी। वर्तमान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु कहीं भी भूमि की समस्या नहीं है।

निदेश दिया गया कि इसे श्रम संसाधन विभाग से पुनः संपुष्ट कर लिया जाए।

• माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बताया गया कि बेनीपट्टी अनुमंडल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सरकारी भवन निर्मित हो जाने के पश्चात भी निजी भवन में संचालित है।

इस सम्बन्ध में निदेश दिया गया कि बेनीपट्टी के साथ-साथ जहाँ कहीं भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सरकारी भवन निर्मित हो चुके हैं वहाँ सरकारी भवन में ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शीघ्र संचालित करने की व्यवस्था की जाए।

अनुपालन- श्रम संसाधन विभाग।

(II) पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप-मिशन

❖ हर घर बिजली:-

निर्देश:-

- 'हर घर बिजली' निश्चय के तहत समय से पहले लक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद 'हर घर नल का जल' निश्चय (ग्रामीण) के अंतर्गत पूर्ण योजनाओं को ऊर्जा निवृत्त करने के निमित्त Pre-paid विद्युत् मीटर के अधिष्ठापन के अलावा जर्जर तार बदलने और कृषि फीडर स्थापित करने की प्रगति का प्राथमिकता के आधार पर पर्यवेक्षण किया जाए।

अनुपालन- ऊर्जा विभाग/ पंचायती राज विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ बिहार विकास मिशन।

❖ हर घर नल का जल:-

- पंचायती राज विभाग द्वारा निश्चय की अद्यतन प्रगति पर चर्चा के क्रम में जानकारी दी गयी कि :-

पंचायती राज विभाग के तहत कुल लक्षित 58,612 ग्रामीण वार्डों के विरुद्ध अब तक 55,096 वार्डों में कार्य पूर्ण एवं 3,051 वार्डों में कार्य प्रक्रियाधीन है। कार्य प्रारंभ नहीं होने वाले अवशेष 465 ग्रामीण वार्डों के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि 135 वार्ड आबादी विहीन हैं तथा शेष 330 वार्डों में बाढ़/ जल-जमाव, संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया की लापरवाही एवं Boring असफल रहने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। आबादी विहीन वार्डों को छोड़कर शेष समस्याओं के शीघ्र निराकरण हेतु Boring असफल रहने वाले वार्डों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सहयोग एवं संबंधित मुखियागण को प्रेरित कर सभी वार्डों में सितम्बर, 2020 तक कार्य पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बताया गया कि :

i) कुल 56,079 चिह्नित ग्रामीण वार्डों में सम्मिलित 30,497 गुणवत्ता प्रभावित एवं शेष 25,582 गैर गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में अब तक क्रमशः 30,332 गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में कार्य प्रारंभ एवं 12,572 वार्डों में कार्य पूर्ण तथा 25,471 गैर-गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में कार्य प्रारंभ एवं 19,850 वार्डों में कार्य पूर्ण किया गया है।

ii) गुणवत्ता प्रभावित 165 तथा गैर गुणवत्ता प्रभावित 111 कुल 276 ग्रामीण वार्डों में से 74 वार्डों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित वाद, 80 में Boring Failure, 52 में Covid-19 Containment क्षेत्र घोषित होने तथा शेष में जल-जमाव/ बाढ़ एवं योजना हेतु भूखंड की उपलब्धता के अभाव में अब तक कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है। इस क्रम में पंचायती राज विभाग के सहयोग से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर एवं अन्य समस्याओं का निराकरण कर अक्टूबर, 2020 तक सभी वार्डों में कार्य पूर्ण किये जाने का आश्वासन दिया गया।

iii) शहरी क्षेत्रों में 343 चिह्नित वार्डों में अब तक 248 वार्डों में कार्य पूर्ण, 52 वार्डों में गृह संयोजन का कार्य प्रक्रियाधीन एवं शेष वार्डों में टेंडर प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्रताशीघ्र पूर्ण किया जायेगा।

- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि :-

i) कुल लक्षित 3,370 शहरी वार्डों के विरुद्ध सभी वार्डों में कार्य प्रारंभ, 1,701 में कार्य पूर्ण तथा शेष वार्डों में कार्य प्रक्रियाधीन है।

ii) विभाग द्वारा 7 निश्चय योजना के तहत क्रियान्वित वार्डों के सभी घरों में अक्टूबर, 2020 तक शत-प्रतिशत गृह-संयोजन का कार्य पूर्ण किये जाने का आश्वासन दिया गया।

निर्देश

i) पंचायती राज विभाग के 330 वार्ड एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के 276 वार्ड, जहाँ कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है, उसे चिह्नित कर प्रत्येक का कारण सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

अनुपालन-पंचायती राज विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

ii) पंचायती राज विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तहत कार्य प्रारंभ नहीं होने वाले वार्डों के संबंध में बेहतर समन्वय स्थापित किये जाने के निमित्त विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर अग्रेतर कार्रवाई किया जाए।

अनुपालन- पंचायती राज विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ बिहार विकास मिशन।

iii) मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन के स्तर पर बैठक आयोजित कर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित 'हर घर नल का जल' निश्चय योजना की विस्तृत समीक्षा की जाए।

अनुपालन- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण/ बिहार विकास मिशन।

iv) माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित 74 गुणवत्ता प्रभावित वार्डों से संबंधित वाद के शीघ्र निष्पादन के लिए महाधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया जाए ताकि निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण कराया जा सके।

अनुपालन- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

v) नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत क्रियान्वित 'हर घर नल का जल' निश्चय योजना सहित अन्य जलापूर्ति योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में योजनावार/ मदवार लक्ष्य एवं उपलब्धि की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

अनुपालन- नगर विकास एवं आवास विभाग।

vi) गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में अवस्थित नगर निकायों के शहरी वार्डों में जल की गुणवत्ता के जाँचोपरांत योजना का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए।

अनुपालन- नगर विकास एवं आवास विभाग।

vii) शहरी क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित योजना का सतत पर्यवेक्षण कराया जाए।

अनुपालन- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण/ नगर विकास एवं आवास विभाग/ बिहार विकास मिशन।

viii) पंचायती राज विभाग के तहत आबादी विहीन 135 वार्डों को चिह्नित करते हुए नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई कर लक्ष्य में संशोधन की जाए।

अनुपालन- पंचायती राज विभाग।

❖ घर तक पक्की गली-नालियाँ:-

पंचायती राज विभाग द्वारा सूचित किया गया कि :

पंचायती राज विभाग के तहत कुल लक्षित 1,14,691 ग्रामीण वार्डों के विरुद्ध अब तक 1,13,893 वार्डों में कार्य पूर्ण एवं 629 वार्डों में कार्य प्रक्रियाधीन है। साथ ही सूचित किया गया कि शेष 169 वार्डों में 135 आबादी विहीन वार्डों को छोड़कर बचे हुए 34 वार्डों में सितम्बर, 2020 तक कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

- सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सूचित किया गया कि :

विभाग के तहत कुल लक्षित 3340 वार्डों के विरुद्ध सभी वार्डों में कार्य प्रारंभ, 2325 वार्डों में कार्य पूर्ण एवं शेष 1015 वार्डों में सितम्बर, 2020 तक कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

निर्देश:-

पंचायती राज विभाग के तहत कार्य प्रारंभ नहीं होने वाले वार्डों का कारण सहित विवरणी उपलब्ध कराया जाए तथा आबादी विहीन 135 वार्डों को चिह्नित कर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई कर लक्ष्य में संशोधन की जाए।

अनुपालन-पंचायती राज विभाग।

❖ **शौचालय निर्माण घर का सम्मान:-**

- ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बताया गया कि:

i) राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायत, 101 अनुमंडल एवं 38 जिलों को ODF घोषित किया जा चुका है।

ii) कुल लक्षित 116.07 लाख घरों के विरुद्ध अब तक 115.15 लाख घरों में लाभुकों द्वारा शौचालय का निर्माण किया जा चुका है तथा बचे हुए शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय की सुविधा से अक्टूबर, 2020 तक आच्छादित कर दिया जायेगा।

iii) भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करने हेतु 8,288 क्लस्टर शौचालय का निर्माण किया जा रहा है जिसमें 2500 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष क्लस्टरों का निर्माण एक महीने के अंदर पूर्ण कराते हुए प्रति योग्य परिवार को एक सीट की चाभी हस्तांतरित कर दी जाएगी।

iv) कुल निर्मित शौचालयों के विरुद्ध लगभग 103.51 लाख (90%) पात्र लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष 10% पात्रता प्राप्त लाभुकों को 15 अक्टूबर 2020 तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

- सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जानकारी दी गयी कि :

कुल लक्षित 4.36 लाख शौचालय विहीन घरों के विरुद्ध अब तक 4.09 लाख घर (93%) शौचालय की सुविधा से आच्छादित हो चुके हैं तथा शेष परिवारों को एक महीने के अन्दर शौचालय की सुविधा से आच्छादित कर दिया जायेगा।

निर्देश:-

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शेष शौचालयों का निर्माण, 2 अक्टूबर, 2020 के पूर्व संपन्न कर सभी पात्र लाभुकों को 15 अक्टूबर, 2020 तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए।

अनुपालन-ग्रामीण विकास विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग।

❖ **अन्यान्य:-**

पटना मेट्रो रेल परियोजना: नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण का कार्य बाधित रहने के फलस्वरूप योजना के क्रियान्वयन में बाधित गति लाने हेतु तत्काल ₹ 500 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

अनुपालन-वित्त विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग।

(III) उद्योग उप-मिशन

• बिहार स्टार्ट अप नीति, 2017 (उद्योग विभाग):- इस नीति के तहत कुल 15633 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें 1476 को विभिन्न इन्क्यूबेटर के साथ इन्क्यूबेशन हेतु सम्बद्ध किया गया है। 231 स्टार्ट अप की अनुशंसा अभी तक इन्क्यूबेटर के द्वारा की गई है जिसमें 106 स्टार्ट अप प्रमाणीकृत हो पाये हैं। 70 को प्रथम किस्त तथा इसमें 46 को द्वितीय किस्त की राशि उपलब्ध कराई गई है। सीड फण्ड के रूप में कुल ₹ 4.76 करोड़ का वितरण किया गया है एवं इन्क्यूबेटर्स को ₹ 1.31 करोड़ उपलब्ध कराया गया है।

निर्देश:-

स्टार्ट-अप नीति, 2017 के तहत अधिक से अधिक लोगों को स्टार्ट-अप का लाभ प्राप्त हो सके तथा अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए विभाग द्वारा राज्य के युवाओं को प्रेरित करने का प्रयास किया जाय एवं इस हेतु नीति में यदि सुधार की आवश्यकता हो तो इस पर भी विचार किया जाय।

अनुपालन- उद्योग विभाग।

(IV) आधारभूत संरचना उप-मिशन

i) विभाग द्वारा बताया गया कि ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना के तहत लक्षित 4643 बसावटों के विरुद्ध 4205 बसावटों को संपर्कता प्रदान कर दी गई है। शेष 438 बसावटों का कार्य अक्टूबर, 2020 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

ii) विभाग द्वारा बताया गया कि GTSNY के सर्वेक्षण से 250 से अधिक आबादी वाले कुल 9143 बसावटों/ टोलों को मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (MMGSY) के तहत संपर्कता प्रदान किये जाने के निर्णय के अनुपालन में अबतक कुल 3799 बसावटों को संपर्कता प्रदान की जा चुकी है तथा 4401 बसावटों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष 943 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। बताया गया कि राशि की उपलब्धता के दृष्टिपथ निर्माणाधीन योजनाएं इस वित्तीय वर्ष के अंत तक तथा शेष 943 योजनाएं अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर ली जाएगी।

निर्देश दिया गया कि पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुरूप यथोचित वित्तीय प्रबंधन कर सभी योजनाओं पर कार्य प्रारंभ करते हुए शीघ्र पूर्ण किया जाए।

अनुपालन- ग्रामीण कार्य विभाग।

(V) मानव विकास उप-मिशन

❖ 7 निश्चय : अवसर बढ़े, आगे बढ़ें:-

• 7 निश्चय योजना की समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि :-

i) वर्ष 2019-20 में नव-निर्मित 12 ANM संस्थान तथा 2 GNM संस्थान को मान्यता प्राप्त हो गया है। पद स्वीकृति की कार्रवाई भी पूर्ण कर ली गयी है।

ii) ANM संस्थान के निर्माण हेतु डुमरांव (बक्सर) एवं तेघड़ा (बेगूसराय) में भूमि प्राप्त कर ली गयी है।

iii) बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु मधुबनी में भूमि प्राप्त है। बेगूसराय में चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु चिह्नित BIADA के जमीन पर ही बी०एस०सी० नर्सिंग

कॉलेज एवं GNM संस्थान का निर्माण भी किया जाएगा। भोजपुर में चिकित्सा महाविद्यालय के साथ ही बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज का निर्माण भी किया जाना है।
iv) चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु भोजपुर में शीघ्र ही जमीन चिह्नित कर ली जायेगी।

निर्देश :-

निश्चय योजना के तहत भोजपुर जिला में चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त करने की कार्यवाई शीघ्र संपन्न कराई जाए। इस हेतु वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा एवं मानसिक आरोग्यशाला, कोइलवर के जमीन को आपस में अदला-बदली के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है।

अनुपालन - स्वास्थ्य विभाग।

❖ **मिशन मानव विकास (MIMV):-**

• समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि :-

i) लगभग 1.93 करोड़ बच्चों का डेटाबेस, मेधा-सॉफ्ट के माध्यम से, उनके अथवा उनके अभिभावक के बैंक खाता के साथ तैयार कर लिया गया है। राज्य स्तर से ही अब सभी मदों यथा-पोशाक, साईकिल इत्यादि की राशि सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से अंतरित की गयी है। इसके कारण लगभग 60,000 वैसे बच्चों का पहचान हो पाया, जिनका 2 या अधिक विद्यालयों में नामांकन था। इस से लगभग रु 18 करोड़ का बचत हुआ।

ii) वर्तमान में लगभग 0.2 प्रतिशत बच्चे ही स्कूल से बाहर है, जबकि वर्ष 2006-07 में लगभग 12.5 प्रतिशत बच्चे स्कूल से बाहर थे।

iii) GER (Gross Enrollment Ratio)- 3304 बचे हुए पंचायतों में माध्यमिक विद्यालयों के संचालन से GER In 9th Class के बढ़ने की संभावना व्यक्त की गयी। उच्च शिक्षा में GER कम रहने का कारण ज्यादा विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा हेतु राज्य से बाहर जाना बताया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लाभान्वित विद्यार्थी भी ज्यादातर राज्य से बाहर ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

iv) बताया गया कि मैट्रिक परीक्षा 2019-20 में Appearing Student में छात्रों की संख्या छात्रों से ज्यादा रही है।

निर्देश :-

मिशन मानव विकास के संकेतांकों की समीक्षा की गई। निर्देश दिया गया कि उच्च शिक्षा में Gross enrollment ratio को शामिल किया जाए तथा इसके आंकड़ों का उल्लेख किया जाए।

अनुपालन - शिक्षा विभाग।

(VI) कृषि उप-मिशन

❖ **कृषि विभाग:-**

• सर्वप्रथम विभागीय सचिव द्वारा कृषि रोड मैप (2017-22) के लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धियों से अवगत कराया गया। बताया गया कि राज्य में कृषि क्षेत्र में हासिल की गयी उपलब्धि के कारण बिहार को अब तक विभिन्न फसलों के लिए 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है जो इस राज्य के लिए गौरव की बात है।

• बीज विस्थापन दर के संबंध में बताया गया कि गेहूँ एवं मक्का में निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। बीज वितरण कार्यक्रम अंतर्गत किसानों को आधार बीज दिया जा रहा है तथा इस कार्य में लगातार प्रगति हो रही है।

• कृषि यांत्रिकीकरण के संबंध में बताया गया कि अब राज्य में फसल अवशेष प्रबंधन को ध्यान में रखकर यंत्रों का वितरण किया जा रहा है। इसलिए कम्बाइंड हार्वेस्टर का वितरण बंद

कर दिया गया है। पॉवर टिलर एवं जीरो टिलेज का वितरण किया जा रहा है। यांत्रिकीकरण से सम्बंधित कस्टम हायरिंग केन्द्र, 111 जीविका समूहों को दिया गया है। फसल अवशेष प्रबंधन के मद्देनजर पहली बार राज्य में रोटरी मल्चर का वितरण किया गया है।

- जैविक खेती के संबंध में बताया गया कि जैविक कॉरिडोर अंतर्गत शामिल किये गए राज्य के 13 जिलों में 21,000 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरुद्ध अब तक 17,061 एकड़ की उपलब्धि हासिल की गयी है। इसमें खास तौर पर सब्जी उत्पादन का क्लस्टर बनाया गया है, जिसका निःशुल्क निबंधन बसोका द्वारा किया जा रहा है।

- बागवानी मिशन के संबंध में बताया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल की जा रही है तथा बिहार राज्य उद्यानिक उत्पाद योजना अंतर्गत एक जिले में एक योजना का कार्यान्वयन की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक जिले में विशेष रूप से चिह्नित बागवानी फसलों का कलस्टर में उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था की जा रही है।

निर्देश दिया गया कि सुगन्धित पौधों एवं फूलों की खेती के लक्ष्य को द्वितीय कृषि रोड मैप से काफी कम रखा गया है, इसकी पुनः समीक्षा की जाय।

- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि तृतीय कृषि रोड मैप (2017-22) में नए महाविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है।

इस संदर्भ में निर्देश दिया गया कि राज्य में कृषि शिक्षा के क्षेत्र में जिन विषयों की पढाई नहीं हो रही है उसका प्रस्ताव लाया जाए तथा किशनगंज कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में भी इस तरह के एक संस्थान को स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है।

- जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अंतर्गत प्रथम चरण में लिए गये आठ जिलों में 50 हजार किसानों के बीच जलवायु अनुकूल कृषि का Exposure दिये जाने का लक्ष्य है जिसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, जिससे किसानों की आमदनी तथा उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी।

- कृषि बाजार व्यवस्था सुधार की समीक्षा के क्रम में विभाग द्वारा बताया गया कि 5 जून, 2020 को भारत सरकार द्वारा 2 अध्यादेश पारित किया गया है। प्रथम अध्यादेश अंतर्गत शुल्क एवं लाइसेंस मुक्त बाजार तथा एक देश एक बाजार की अवधारणा की व्यवस्था की गयी है जो बिहार में 2006 से ही लागू है। दूसरे अध्यादेश में मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा पर किसान करार अध्यादेश 2020 लाया गया है जिसके अंतर्गत अनुबंध खेती तथा कृषि उपज को आपसी सहमति के आधार पर लाभदायक बनाने की व्यवस्था की गयी है। इसके अंतर्गत राज्य में अनुबंध खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अलग सेल भी बनाया गया है।

कृषि बाजार व्यवस्था सुधार अंतर्गत अनुबंध खेती में मोतिहारी के जीविका समूहों द्वारा आलू के उत्पादन में काफी अच्छा कार्य किया जा रहा है, इसका विस्तार राज्य के अन्य जिलों में भी करने का निर्देश दिया गया।

अनुपालन - कृषि विभाग।

❖ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग:-

- समीक्षा के क्रम में विभाग द्वारा बताया गया कि पशुपालन प्रक्षेत्र अंतर्गत दुग्ध, अंडा, मांस एवं मछली के उत्पादन में पूर्व की स्थिति की तुलना से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अंडा की उपलब्धता जो कृषि रोड मैप आरम्भ होने से पहले प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 10.30 थी बढ़कर 26 हो गयी है। दुग्ध 154 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन से बढ़कर 270 ग्राम हो गया है। मांस प्रति व्यक्ति 2.58 किलो प्रति वर्ष से बढ़कर 3.69 एवं मछली प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 6.63 किलो ग्राम से बढ़कर 8.82 किलो ग्राम हो गया है। अंडा के उत्पादन एवं वृद्धि में निजी क्षेत्र का अहम योगदान है। मछली के उत्पादन में हम अब कैप्चर से कल्चर में शिफ्ट हो रहे हैं जिससे

बड़े पैमाने पर मछली के उत्पादन में वृद्धि हुई है, इस कार्य हेतु राज्य के लगभग 12,000 लोगों को दूसरे राज्यों में प्रशिक्षण भी दिया गया है।

- मत्स्य बीज उत्पादन में भी प्रगति हो रही है। चौर विकास का कार्य 6 जिलों में किया जा रहा है साथ ही बायोप्लोक मत्स्य प्रशिक्षण का कार्य 30 जिलों में किया जा रहा है।
- केज कल्चर अंतर्गत राज्य के 2 जिले बांका एवं पूर्णियां में मछली पालन का कार्य आरम्भ किया गया है। जल संसाधन विभाग द्वारा 35 रिजर्वयर को केज कल्चर अंतर्गत मछली पालन की अनुमति विभाग को दी गयी है।

निर्देश:-

मत्स्य प्रक्षेत्र अंतर्गत राज्य के चौर क्षेत्र में मछली पालन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया।

- पशु टीकाकरण का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है एवं निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा उपलब्धि हासिल की गयी है।
- लेयर पोल्ट्री फॉर्म में उपलब्धि कम होने का कारण बैंकों द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं दिया जाना है। इस कार्य में गति लाने में सचिव, कृषि विभाग के साथ आपसी सहयोग कर कार्य किया जा रहा है।

निर्देश:- मुर्गी वितरण एवं बकरी वितरण में जीविका समूहों के साथ विभाग को आर्डिनेशन कर इस कार्य में तेजी लाये।

- दुग्ध संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन के संबंध में बताया गया कि दिसम्बर, 2022 तक इसकी क्षमता दुगनी हो जायेगी। कृत्रिम गर्भाधान केंद्र की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि जीविका समूह के बीच 2 और 4 गायों को बाँटने का निर्णय लिया गया है।

अनुपालन-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।

❖ **सहकारिता विभाग :-**

- सहकारिता विभाग की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सहकारी समिति के निर्माण में काफी अच्छी शुरुआत हुई है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत खरीफ 2020 के लिए अब तक कुल 32,47,755 किसानों को ऑनलाइन पंजीकृत किया गया है जिसमें रैयत किसान 13,32,501 तथा गैर रैयत 18,66,316 है। रबी 2019-20 अंतर्गत कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 19,55,512 है। आवेदनों के सत्यापन का कार्य जारी है एवं इसके भुगतान का कार्य सितम्बर माह तक पूरा कर लिया जायेगा।

निर्देश दिया गया कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना की समय-समय पर समीक्षा की जाए तथा इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता महसूस हो तो उससे संबंधित प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय।

अनुपालन-सहकारिता विभाग।

❖ **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग:-**

- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किये जा रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य के प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में निर्देश किया गया की इस कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए क्योंकि लगभग 60% से अधिक दर्ज अपराधिक मामलों में भूमि विवाद ही मुख्य कारण है और इस विवाद को सिर्फ नये सर्वेक्षण कार्य को पूरा कर ही दूर किया जा सकता है, अतः इसे प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। अगर इस कार्य में कोई दिक्कत आती है तो माननीय मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन के साथ बैठक कर इसका समाधान कर लें।

अनुपालन-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।


❖ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग:-

• विभाग द्वारा बताया गया कि जन वितरण प्रणाली दुकानों के आधुनिकीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं सभी सुपात्र लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के आधार पर किया जा रहा है। अब तक कुल 35.37 लाख नये राशन कार्ड निर्गत किये गये हैं इसमें से करीब 23.39 लाख नये राशन कार्ड का वितरण हाल में अभियान चलाकर किया गया है तथा सभी नये राशन कार्डधारियों को जुलाई से खाद्यान्न भी दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में नये राशन कार्ड का वितरण अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इस कार्य को सितम्बर के अंत तक पूर्ण कर लिया जायेगा। अब तक 7.18 लाख कार्ड जाँच के क्रम में रद्द किया गया है तथा लगभग 14 लाख कार्डधारियों को नोटिस निर्गत किया गया है।

नए राशन कार्ड के बनाने की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लगभग सभी पात्र लोगों को राशनकार्ड मुहैया करा दिया गया है। इसके बावजूद अभी भी यदि कुछ लोग छूट गये हैं, तो वैसे लोगों के लिए विभाग सूचना प्रकाशित कर राशनकार्ड उपलब्ध कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करें। जिन लोगों के निशान की पहचान point of sale (PoS) मशीन में स्थापित नहीं हो पा रहा है वैसे लोगों की सूची तथा गरीब एवं उम्मीदराज व्यक्तियों की अलग सूची बना कर प्राथमिकता के आधार पर खाद्यान्न का वितरण किया जाए।

अनुपालन- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।


अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।


(संजय कुमार)

सदस्य सचिव

ज्ञापांक:- बि०वि०मि०-स्था०-(बैठक)-01/20 खण्ड-01 1114 दिनांक- 29/09/20

प्रतिलिपि:- सभी माननीय मंत्री-सह-सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन/ माननीय मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार-सह-सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन/ विकास आयुक्त, बिहार-सह-सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन/ पुलिस महानिदेशक, बिहार-सह-सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ सचिव-सह-सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन/ विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव-सह-सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सदस्य सचिव)

ज्ञापांक:- बि०वि०मि०-स्था०-(बैठक)-01/20 खण्ड-01 1114 दिनांक- 29/09/20

प्रतिलिपि :- मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सदस्य सचिव)

ज्ञापांक:- बि०वि०मि०-स्था०-(बैठक)-01/20 खण्ड-01 1114 दिनांक- 29/09/20

प्रतिलिपि :- आई०टी० प्रबंधक, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/ आई०टी० प्रबंधक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सदस्य सचिव)

